राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

जिला–जयपुर

अपील संख्या 1562/2015

उनवान–मै. कृष्णा सुदर्शन ऊर्जा प्रा.लि.,जयपुर बनाम सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अजमेर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.10.2015	**एकलपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** अपीलार्थी के ओर से श्री जे.एन.शर्मा, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के.अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर,जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.09.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.09.2015, जो अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् पारित किये गये आदेश में रू. 8,38,582/– की मांग सृजित की है। अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया है। अपीलार्थी ने रू. 8,38,582/– को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश 28.09.2015 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर, स्थगन हेतु आवेदित राशि	

रू. 8,38,582/– पर स्थगन प्रदान करते हुए अपीलाधीन आदेशान्तर्गत वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य